राजस्थान सरकार
राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन
स्वास्थ्य भवन,सी–स्कीम, जयपुर
फोन नं. 0141–2228066, फैक्स नं 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

क्रमांकः एफ.3 ()/RMSC/वित्त/2012/258 दिनांक : 25-04-12

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज
समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज सम्बद्ध अस्पताल
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान।

विषय :– राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी कोष (RMRS Fund) से दवाईयां क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी (आर.एम.आर.एस.), राजस्थान की संशोधित नियमावली 2007 के भाग–2 के वित्तीय नियम के नियम 4 के अनुसार आर. एम.आर.एस. की कुल वार्षिक आय जिसमें अनटाईड फन्ड (Untied Fund) भी सम्मिलित है का व्यय सोसाइटी निम्न प्रकार से करने के लिए अधिकृत होगी :–

1.	बी.पी.एल. कार्डधारी मरीजों हेतु दवाइयों एवं जांच पर/हैल्थ इन्श्योरेन्स हेतु दवाइयां।	25 प्रतिशत
2.	बी.पी.एल. श्रेणी के अतिरिक्त विशेष गरीब मरीजों के उपचार पर	5 प्रतिशत
3.	65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिको के उपचार एवं नैदानिक जांचों पर	20 प्रतिशत

वर्तमान में बी.पी.एल. कार्डधारी व 13 अन्य श्रेणियों के मरीजों के ईलाज का व्यय मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष (MM BPL JRK) द्वारा वहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना (MNDY) के अन्तर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन (RMSC) द्वारा चिकित्सालय में उपचार के लिए आने वाले सभी मरीजों को निःशुल्क दवाऐं उपलब्ध कराई जा रही है।

आर.एम.एस.सी. द्वारा सभी चिकित्सालयों को रोगी उपचार पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) पर रोगी उपचार पंजीयन शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 50000 रूपये तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) पर लगभग 1 लाख रूपये की आय हो रही है जो राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी कोष (आर. एम.आर.एस. फण्ड) में जमा की जाती है। वर्तमान में एम.एम.बी.पी.एल.जे.आर.के. और एम.एन.डी.वाई. के कारण उक्त आय का दवाइयों इत्यादि पर किया जाने वाला 50 प्रतिशत व्यय बच रहा है।

चिकित्सालयों की आवश्यकता के अनुसार दवाइयों के स्थानीय क्रय (Local purchase) के लिए 10 प्रतिशत बजट राशि रखी गई है। इसके अतिरिक्त भी और दवाओं की आवश्यकता पड सकती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी कोष (RMRS Fund) का 50 प्रतिशत व्यय चिकित्सालय में उपचार के लिये आने वाले मरीजों हेतु स्थानीय स्तर पर दवाइयां क्रय कर वितरण करने हेतु किया जावें। जिससे चिकित्सालय में किसी भी आवश्यक एवं जीवनरक्षक प्रकृति की औषधि की कमी ना रहे।

(बी.एन. शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.3 ()/RMSC/वित्त/2012/258 दिनांक : 24-04-12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम. जयपुर।
3. निदेशक, जनस्वास्थ्य/आरसीएच/एचए/आईईसी, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, आर.एम.एस.सी. राजस्थान।
5. सी.एस.आर. को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अधिकारी को ई-मेल करें।
6. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. समित शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक
आर.एम.एस.सी.
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार

राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, राजस्थान

संशोधित नियमावली 2007

नियम – 4

आय का उपयोग

सोसाईटी अपनी आय का उपयोग सभी सेवाओं का [illegible] करेगी। अतः जिन सेवाओं में राज्य सरकार द्वारा आवंटित बजट उपयोग [illegible] उनके लिये अतिरिक्त राशि के रूप में सोसाईटी व्यय करेगी। सोसाईटी कुल वार्षिक आय [illegible] अनटाईड फण्ड भी सम्मिलित है का व्यय निम्न प्रकार करने के लिये अधिकृत होगी:–

1	बी.पी.एल. कार्डधारी मरीजों हेतु दवाईयों एवं जांच पर / हैल्थ इन्श्योरेन्स हेतु दवाईयां	25 प्रतिशत
2	बी.पी.एल. श्रेणी के अतिरिक्त विशेष गरीब मरीजों के उपचार पर	5 प्रतिशत
3	65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के उपचार एवं नैदानिक जांचों पर	20 प्रतिशत
4	चिकित्सालय की सफाई, रखरखाव एवं अन्य सुविधाओं इत्यादि पर	20 प्रतिशत
5	जांच सामग्री, केमिकल्स, एक्स–रे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी फिल्मस एवं उपकरणों की ए.एम.सी. इत्यादि हेतु	25 प्रतिशत
6	आपातकालीन स्थिति एवं घातक बिमारियों के रोगियों को निःशुल्क [illegible] सुविधा उपलब्ध कराने के लिये	5 प्रतिशत